<u>कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।</u>

क्रमांक:जविप्रा/स.स./बीपीसी/2002/डी-187 दिनांक: 20-6-2002

विषय:- भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान)की बैठक 22वीं दिनांक 12-6-2002 का कार्यवाही विवरण।

महोदय,

भवन मानिचत्र समिति(ले-आउट प्लान) की बैठक सं0 22वीं दिनांक 12-6-2002 प्रात:/~~सायं~~ 11.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई,का कार्यवाही विवरण संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति,
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगरीय विकास मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. श्री तकीउद्दीन अहमद, विधायक
3. श्री अशोक तंवर, विधायक
4. श्री राजेन्द्र मावर, प्राधिकरण सदस्य
5. निजी सचिव, शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. वरिष्ठ निजी सचिव,आयुक्त,जविप्रा,जयपुर।
7. निजी सचिव, सचिव,जविप्रा,जयपुर।
8. निदेशक(आयोजना) जविप्रा,जयपुर।
9. अति.आयुक्त(भूमि) जविप्रा,जयपुर।
10. वरिष्ठ नगर नियोजक (एम.पी.) जविप्रा,जयपुर।
11. वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) जविप्रा,जयपुर।
12. उपायुक्त, जोन....................,जविप्रा,जयपुर।
13. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

भवन मानचित्र समिति(ले आउट प्लान) की 22वीं बैठक दिनांक 12-6-2002 में निम्नलिखित प्रकरण में भी विचार-विमर्श किया गया-

(1) विषयः- लक्ष्मी नगर गृ.नि.स. समिति की योजना गोपाल नगर स्कीम नं.-20 (जोन सी-3)

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों पर विचार-विमर्श कर निम्नांकित निर्णय लिये गयेः-

1. हाईवे कन्ट्रोल बैल्ट के प्रावधान के अनुसार सडक के मध्य बिन्दु से 75मीटर क्षेत्र में आने वाले भूखण्डों का नियमन नहीं किया जावें।
2. जो भूखण्ड एल.टी.लाईन से प्रभावित है उनका समायोजन समिति के स्तर से अथवा जोन के स्तर पर निर्धारित कर किया जावे।

उपरोक्तानुसार संशोधन के उपरान्त प्रकरण पुनः समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावें।

(2) विषयः-अम्बेश्वर ग.नि.स. समिति की योजना केशव विहार(जोन सी-3)

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों पर विचार-विमर्श कर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि 132 के.वी. एच.टी. लाईन एवं आई.ओ.सी. की लाईन से काफी भूखण्ड प्रभावित है अतः समिति से योजना संशोधित करवायी जावें।

(3) विषयः-पहाडगंज गृ.नि.स. समिति की योजना विजयनगर(जोन सी-3)

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों पर विचार-विमर्श कर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि एच.टी.लाईन एवं आई.ओ.सी. की लाईन से काफी भूखण्ड प्रभावित है अतः समिति से योजना संशोधित करवायी जावें।

(4) विषयः- गुलमोहर लेन(जोन बी-6)

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों पर विचार-विमर्श कर निम्नांकित निर्णय लिये गयेः-

1. भूखण्ड सं. 7ए एवं 8ए को सुविधा क्षेत्र से मुक्त किया जावें।
2. भूखण्ड सं. 7ए व 8ए से लगे हुए सुविधा क्षेत्र में जो भूखण्ड समिति द्वारा सृजित किये गये है उनके खिलाफ एफ.~~आई.~~आर उपायुक्त जोन द्वारा की जावें।

3. उपायुक्त बी-6 द्वारा पूर्व में योजना अनुमोदन के समय पूर्ण तथ्य जोन स्तर पर प्रस्तुत किये गये थे या नहीं, इसकी जांच कर रिपोर्ट दी जावें।

(5) विषयः- आदर्श नगर गृ.नि.स.समिति की योजना रत्नापुरी, स्कीम नं04 के भूखण्ड संख्या 49, 50 के सामने स्थित रोड की चौडाई बाबत।

वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों पर विचार-विमर्श कर निम्नांकित निर्णय लिये गयेः-

1. समिति के सदस्यों द्वारा अजमेर रोड के मौके का निरीक्षण किया जावें।
2. अजमेर रोड पर ई.एस.आई. डिस्पेन्सरी से अमानीशाह के नाले तक की सडक का सर्वे मय सिंगल प्रापर्टी डेप्थ के अन्तर्गत आने वाले निर्माणों की स्थिति दशार्ते हुए सडक की चौडाई स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए जोन स्तर पर करवाये जावें जिससे सडक की चौडाई निर्धारित की जा सके।

(6) विषयः- मोती भवन की योजना 11बी सुदामापुरी(जोन बी-3)

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों पर विचार-विमर्श कर समिति द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये गयेः-

1. सीकर रोड के राईट ऑफ वे में आने वाली दुकानों को अनुमोदित नहीं किया जावें।
2. मास्टर विकास योजना 2011 की प्रस्तावित 200फिट सडक क्षेत्र में आने वाले भूखण्डों का नियमन नहीं किया जावें।
3. सुविधा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले भूखण्ड सं0 बी-77, बी-70, बी-97, बी-98 एवं बी-125 को योजना क्षेत्र में ही अन्यत्र सृजित कर नियमन की कार्यवाही की जावें।
4. मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार योजना का भू उपयोग सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालय से आवासीय में परिवर्तित किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जावें।

(7) विषयः-जय अम्बे गृ.नि.स. समिति की योजना शेखावाटी नगर (जोन बी-3)

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों पर विचार-विमर्श कर निम्नांकित निर्णय लिये गयेः-

1. पूर्व में बीपीसी(ले आउट प्लान) की बैठक दिनांक 27-5-2002 में निर्णय लिया गया था कि ओनर्स लैण्ड को भी योजना में शामिल किया जावे तथा 60:40 का अनुपात रखते हुए पुनः योजना प्रस्तुत की जावें। जिसके कम में योजना क्षेत्र में पूर्व में दर्शायी गयी ओनर्स लैण्ड की 90 बी की कार्यवाही जोन स्तर पर की जा चुकी है एवं ओनर्स लैण्ड को योजना क्षेत्र में शामिल कर लिया

गया है लेकिन भूखण्ड सं0 45 सी का पट्टा ग्राम पंचायत हरमाडा द्वारा जारी किया हुआ है जिसे छोडकर भूखण्ड सं0 44बी, 44सी, 44डी, 45ए, 45बी के नियमन की कार्यवाही की जावें।

2. भूखण्ड सं0 9 में से 30 फिट चौडी रोड समीपवर्ती योजना से लिंक करने के लिए रखी जावें। साथ ही भूखण्ड सं0 10, 11, 11ए के पीछे स्थित खाली जगह को रोड ही रखा जावें।
3. भूखण्ड सं0 55 से 67 को सुविधा क्षेत्र के अन्तर्गत रखा जावें।
4. आवाीसय क्षेत्रफल 60 प्रतिशत ही रखा जावें।
5. मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार योजना का भू उपयोग सरकारी या अर्द्वसरकारी कार्यालय से आवासीय में परिवर्तित किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जावें।

(8) विषय:- छत्रपति शिवाजी गृ.नि.स.समिति की योजना पार्वती नगर (जोन बी-3):-

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों पर विचार-विमर्श कर निम्नांकित निर्णय लिये गये:-

1. 200फिट बाईपास के राईट ऑफ वे में आने वाली दुकानों को अनुमोदित नहीं किया जावें।
2. योजना के दक्षिणी ओर स्थित भूखण्ड सं0 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 एवं 35 से 45 को नियमित किया जावें।
3. योजना के उत्तरी ओर स्थित योजना क्षेत्र का अनुमोदन नहीं किया जावे क्योंकि उत्तर ओर के योजना क्षेत्र से मास्टर विकास योजना 2011 की प्रस्तावित 160 फिट चौडी सडक निकलती है उसके अलाइन्मेट निर्धारित होने के उपरान्त ही नियमन किया जा सकता है।
4. योजना के दक्षिणी भाग का भू उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार स्पेशल मार्केट से आवासीय परिवर्तित किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जावें।

(9) विषय:- टैगोर नगर गृ.नि.स. समिति की योजना मधु नगर (जोन बी-3):-

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों पर विचार-विमर्श कर निम्नांकित निर्णय लिये गये:-

1. सीकर रोड के राईट ऑफ वे में आने वाली दुकानों को अनुमोदित नहीं किया जावे एवं दुकान सं0 7 से 16 के पीछे की ओर बचने वाली भू पट्टी को लेन में ही समायोजित किया जावें।
2. योजना के मध्य से गुजरने वाली 30फिट चौडी सडक को 40 फिट किया जावें।

3. भूखण्ड सं0 3 में से 40 फिट चौड़ी रोड निकाली जावें, जिससे समीपवर्ती योजना सुदामापुरी से लिंक हो सके।
4. खसरा नं0 292 की 90बी की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावें।
5. भूखण्ड सं0 ए–1, ए–4, ए–5 को सुविधा क्षेत्र के अन्तर्गत रखा जावें।
6. मास्टर विकास योजना 2011 में योजना का भू उपयोग सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालय से आवासीय में परिवर्तित किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जावें।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 22वीं बैठक दिनांक 12-6-02 का कार्यवाही विवरण।

विषय:- शंकर भवन गृ0नि0स0स0 की योजना कैलाशपुरी स्थित न्यू सांगानेर रोड़ के अनुमोदित नक्शे में अंकित भू.सं. 40 तथा 42 को मौके की स्थिति के अनुसार संशोधन करवाने हेतु ।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या B-2) कमेटी की बैठक दिनांक.........................में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

उपायुक्त जोन द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया । स्वीकृत योजना मानचित्र में योजना को क्रम संख्या 42,41,40 है जबकि मौके पर इन भूखण्डों की क्रम संख्या 40,41,42 है इसलिए विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि एजेण्डा में दर्शित मौके की स्थिति के अनुसार भूखंड संख्या का अंकन किया जावे ।

[signature]

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...22वीं...बैठक दिनांक....12-6-02...

का कार्यवाही विवरण।

विषय:- सुभाष सिन्धी गृ0नि0स0स0 को योजना स्कीम नं. 5 के अनुमोदित मानचित्र में भू.सं. 47 व 48 की स्थिति मौके के अनुसार ठीक करने हेतु ।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...B-2...) कमेटी की बैठक दिनांक..........................में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

उपायुक्त जोन द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । स्वीकृत योजना मानचित्र में भू.सं. 47 व 48 दो बार भूखण्डों का अंकन किया हुआ है । तथा स्वीकृत योजना मानचित्र में दर्शित भूखण्ड संख्या व मौके पर उपलब्ध भूखण्ड संख्या मिलान नहीं करते है । इसलिए विचार-विमर्श कर निर्णय लिया कि एजेण्डा में दर्शित योजना मानचित्र में मौके की स्थिति के अनुसार भूखण्ड संख्या का अंकन किया जावें ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 22वीं बैठक दिनांक 12-6-02
का कार्यवाही विवरण।

विषय:- श्री गोपाल नगर (ग्राम गोपालपुरा) योजना के भू.सं. 209 से 222 तथा भू.सं. 195 से 207 तक पूरे ब्लाक से सैअ बैक अनुमोदित नक्शों में मौके के अनुसार संशोधित करवाने के सम्बन्ध में।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या B-2) कमेटी की बैठक दिनांक.........................में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

उपायुक्त जोन द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया। विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि सभी भूखण्डधारियों के भूखण्डों के सैट बैक बदले जाने पर कोई आपत्ति नहीं है, के सम्बन्ध में लिखीत में सभी भूखण्डधारियों से आवेदन पत्र लिये जावें तथा मौके पर स्थित निर्माण व जारी आवंटन पत्र व मास्टर प्लान की जाँच कर प्रकरण को पुन: बीपीसी के समक्ष प्रस्तुत किया जावें।

(हस्ताक्षर)

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 22वीं बैठक दिनांक 12-6-02 का कार्यवाही विवरण।

विषय:- योजना जगदीश कॉलोनी सोसायटी, माणिक्यपुरी ग्0नि0स0स0 के भू.सं. 69 व 70 की जारी लीज डीड व स्थल मानचित्र में मौके के आधार पर संशोधन हेतु ।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या B-2) कमेटी की बैठक दिनांक........................में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

उपायुक्त जोन ने समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया । उपायुक्त जोन ने समिति को अवगत कराया कि भू.सं. 68,68ए,69 व 70 की लीज डीड व साइट प्लान जारी किये हुए है । वह मौके की स्थिति के अनुरूप नहीं है इसलिए इन भूखण्डों के मौके की स्थिति के अनुसार संशोधित लीज डीड व साइट प्लान जारी किये जावें । मौके की स्थिति के अनुसार भू.सं. 69 व 70 के पूर्व में योजना मानचित्र में 30-0" चौड़ी सड़क दर्शायी है किन्तु मौके पर 30-0" चौड़ी सड़क नहीं है अपितु अग्रसेन नगर का भू.सं. 129 है तथा भू.सं. 70 के लिए कोई रास्ता नहीं है । विचार-विमर्श पश्चात् समिति ने निर्णय लिया कि भू.सं. 68 से भू.सं. 70 के दक्षिण के कोने तक 10-0" चौड़ा रास्ता दिया जावें तथा तदानुसार लीज डीड व साइट प्लान में संशोधन किया जावें ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की....22वीं....बैठक दिनांक.12-6-02.........

का कार्यवाही विवरण।

विषय:- छत्रपति शिवाजी गृ0नि0स0स0 के गणेश कालोनी के भू.सं.91, 92, 93 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :

2. योजना का नाम :

3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :

4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या....B-2) कमेटी की बैठक दिनांक.........................में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

उपायुक्त जोन द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । समिति के समक्ष भूखण्डधारी भी उपस्थित हुए । भूखण्डधारी ने समिति को बताया कि वह इस भूखण्ड में पहले से ही रह रहे है । तथा इस भूखण्ड में रहने के उनके पास पर्याप्त सबूत है । विचार विमर्श पश्चात् समिति ने निर्णय लिया कि उपायुक्त जोन इन भूखण्डधारीयों के रहने के सबूतों की जाँच करे तथा यदि भूखण्ड सुविधा क्षेत्र से मुक्त किये जाने योग्य है तो इन भूखण्डों को योजना के सुविधा क्षेत्र से मुक्त किया जावें ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 22वीं बैठक दिनांक 12-6-02 का कार्यवाही विवरण।

विषय:- प्रताप नगर गृ०नि०स०स० की योजना दीपक कालोनी के भूखंड संख्या 10 से भू.सं. 6 के सामने सड़क को अनुमोदित नक्शे में 30-0" की जगह 20-0" अनुमोदित करवाने हेतु ।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या....B-2...) कमेटी की बैठक दिनांक.........................में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

उपायुक्त जोन द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । उन्होंने समिति को अवगत कराया कि भू.सं. 6 से 10 के सामने मौके पर 20-0" चौड़ी सड़क ही उपलब्ध है तथा मौके पर इस सड़क की चौड़ाई बढाया जाना सम्भव नहीं है इसलिए विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि भू.सं. 6 से 10 के सामने की चौड़ाई 30-0" से 20-0" की जावें ।

[signature]

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..22वीं....बैठक दिनांक..12-6-02.......

का कार्यवाही विवरण।

विषय:- स्थानीय समझौता समिति के फैसले की अनुपालना में फ्रेन्डस कालोनी के भू.सं. 9,10,11 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने बाबत् ।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :

2. योजना का नाम :

3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :

4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...B-2...) कमेटी की बैठक दिनांक.........................में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

उपायुक्त जोन ने समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया । उन्होने समिति को अवगत कराया कि स्थानिय समझौता समिति ने भू.सं. 9,10,11 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने का आदेश दिनांक 19.1.2002 पारित किया है । मौके पर तीनों भूखण्ड रिक्त है समिति ने विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय समझौता समिति में इस निर्णय के विरूद्व अपील की जावें ।

[signature]

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 22वीं बैठक दिनांक 12-6-02 का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : मित्र गृ0नि0स0स0
2. योजना का नाम : न्यू सांगानेर बाई पास
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 : बृजलालपुरा ख.नं. 123 का रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा ख.नं. 125 का रकबा 4 बिस्वा
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या B-5) कमेटी की बैठक दिनांक.........................में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

उप नगर नियोजक द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। विचार-विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के साथ योजना को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

1. मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार इस भूमि का भू-उपयोग वाटर बॉडी है इसलिए योजना का भू-उपयोग परिवर्तन वाटर बॉडी से आवासीय किया जावें।
2. सवाई चक भूमि में स्थित भूखण्डों को अस्वीकृत किया जावें।
3. ग्राम देवरी की भूमि में दर्शाये भू.सं. 106 से 109 पूर्ण तथा पार्टली भू.सं. 110 से 114 को आंशिक अस्वीकृत किया जावें।
4. 30' से कम चौड़ी सड़क को 30-0" किया जावें।
5. समिति द्वारा प्रस्तुत योजना मानचित्र में भू.सं. 9 से 12 पीले रंग से उनकी सीमा में दर्शाये है जबकि जोन द्वारा दर्शायी खसरा बाउन्ड्री के अनुसार यह भूखण्ड समिति की भूमि की सीमा से बाहर है।

....2/-

इसलिए इन आवासीय भूखण्डों को योजना में शामिल नहीं किया जावे । योजना का कुल क्षेत्रफल 28737·00 व·ग· है । तथा नियमानुसार आवासीय क्षेत्रफल 60 प्रतिशत अनुज्ञेय है । 60 प्रतिशत आवासीय क्षेत्रफल 17242·00 व·ग· होता है इसलिए आवासीय क्षेत्रफल 60 प्रतिशत रखने हेतु भू·सं· 66,67,69,70,96,97,98,99 को सुविधा क्षेत्र में दर्शाया जावे ।

6· भूखण्ड संख्या 120,121,38,34,110,111,112 में सैटबैक छोड़ने के पश्वात् पर्याप्त आच्छादित क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है । इसलिए इन भूखण्डों को अस्वीकृत किया जावे ।

7· मौके पर 10 प्रतिशत से कम निर्मित भूखण्ड है इसलिए योजना की स्वीकृति हेतु प्रकरण को अध्यक्ष जयपुर विकास प्राधिकरण को भिजवाया जावे ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

कार्यवाही विवरण

बीपीसी (ले आउट प्लान) की दिनांक 12.6.2002 को सम्पन्न हुई बैठक में अध्यक्ष के अनुमोदन से जोन डी-2 के निम्न एजेन्डा प्रस्तुत किये गयेः-

1. भैरव गृ.नि.स.स. की योजना कमला नगर के अनुमोदन के संबंध में।
2. भैरव गृ.नि.स.स. की योजना श्रद्वा विहार के अनुमोदन के संबंध में।

विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिये गये :-

1. भैरव गृ.नि.स.स. की योजना कमला नगर के अनुमोदन के संबंध में - जोनल लेबल (जोन संख्या डी-2) कमेटी की बैठक दिनांक 24.4.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतू पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को निम्नाकिंत संशोधनो के साथ अनुमोदित किया गया :-

    1. योजना में 60 प्रतिशत आवासीय व 40 प्रतिशत सडक सुविधा क्षेत्र हेतु रखते हुए अनुमोदन किया जावें।
    2. भूखण्ड संख्या 1 एवं दुकान संख्या 1 से 10 को कालवाड रोड की चौडाई में एवं दुकान संख्या 2 व 3 को मास्टर विकास योजना 2011 के प्रस्ताव अनुसार Circle के Radius में आने के कारण अस्वीकृत किया जावें। ।
    3. भूखण्ड संख्या 51, 52, 53, 54 को जोनल लेबल कमेटी के निर्णयानुसार सुविधा क्षेत्र में प्रस्तावित किया गया था किन्तु बीपीसी समिति द्वारा पाया गया कि मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार प्रस्तावित सर्किल के रेडीयस से भूखण्ड संख्या 2 व 3 प्रभावित होने के कारण नियमन योग्य नहीं हैं। इन भूखण्डों को निरस्त करने से योजना में 60 प्रतिशत से भी कम आवासीय क्षेत्र उपलब्ध होता हैं। अतः विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या 51, 52, 53, 54 को (जोनल लेवल कमेटी के निर्णयानुसार सुविधा क्षेत्र में प्रस्तावित किया गया था) सुविधा क्षेत्र से बाहर रखा जावें।

4. योजना का भू उपयोग परिवर्तन नियमानुसार Public Utility से आवासीय किया जावें।

2. भैरव गृ.नि.स.स. की योजना श्रद्धा विहार के अनुमोदन के संबंध में – जोनल लेबल (जोन संख्या डी–2) कमेटी की बैठक दिनांक 31.5.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतू पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को निम्नाकिंत संशोधनो के साथ अनुमोदित किया गया :–

1. योजना में 60:40 का अनुपात रखते हुए अनुमोदन किया जावें।
2. भूखण्ड संख्या 257ए, 258, 269, 294 को खसरा सीमा से बाहर होने के कारण नियमन नहीं किया जावें।
3. खसरा नम्बर 371 जिसका क्षेत्रफल 4654 वर्गगज हैं जो खसरा प्लान में नाला दर्शाया गया हैं किन्तु मौके पर यह भूमि समतल हैं। अतः विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि इस भूमि पर इस योजना से समायोजन करते हुए समुचित प्रस्ताव बनाकर जो भूमि भूखण्डो के लिए उचित हैं, को नीलामी/जविप्रा के प्रयोजन के काम में ली जावें।
4. योजना का भू उपयोग उपान्तरण नियमानुसार ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय किया जावें।
5. योजना में निर्मित क्षेत्रफल 10 प्रतिशत से कम होने के कारण अ.शा. टीप कमांक विस/म/स्वा.शा./2002/320 दिनांक 9-मई 2002 के संदर्भ में मामला अनुमोदन हेतू अध्यक्ष, जविप्रा को भेजा जावें।

वरिष्ठ नगर नियोजक (एंम.पी.)
जविप्रा, जयपुर।

भवन मानिचत्र समिति(ले-आउट प्लान) की 22वीं बैठक दिनांक 12-6-2002 को प्रातः 11.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई,जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित हुए:-

1. श्री अशोक तंवर, विधायक — सदस्य
2. श्री राजेन्द्र मावर, प्राधिकरण सदस्य — सदस्य
4. श्री पी.के.पाण्डे, निदेशक(आयोजना),जविप्रा,जयपुर। — सदस्य
5. श्री ओ.पी. यादव, अति.आयुक्त(भूमि)पश्चिम,जविप्रा,जयपुर। — सदस्य
6. श्री ए.एन.भार्गव,वरिष्ठ नगर नियोजक(बीपीसी) — सदस्य सचिव

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे-

1. श्री पी.अरविन्द,वरिष्ठ नगर नियोजक(एम.पी.)जविप्रा,जयपुर।
2. श्रीमती लवंग शर्मा,वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट)जविप्रा,जयपुर।
3. श्री नीरज तिवारी,उप नगर नियोजक(बीपीसी)जविप्रा,जयपुर।
4. श्री प्रेमशंकर,उप नगर नियोजक(प्रोजेक्ट)जविप्रा,जयपुर।
5. श्रीमती आशा अवस्थी, सहायक नगर नियोजक(एम.पी.)जविप्रा,जयपुर।
6. श्री विजयपाल सिंह, उपायुक्त जोन बी-3, जविप्रा,जयपुर।
7. श्री पवन कुमार जैन, उपायुक्त जोन बी-5, जविप्रा,जयपुर।
8. श्री श्रीपाल शर्मा, उपायुक्त जोन बी-6, जविप्रा,जयपुर।
9. श्री भीमा राम चौधरी, उपायुक्त जोन सी-2,जविप्रा,जयपुर।
10. श्री पी.सी. गुप्ता, उपायुक्त जोन सी-3, जविप्रा,जयपुर।